प्रेषक,

राजबहादुर रामदेव यादव,
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।

प्रति,

महा निबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।

विषयः **अचल सम्पत्ति (फ्लैट) क्रय किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

निवेदन है कि मेरी पत्नी के द्वारा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की वृन्दावन योजना संख्या–04 के सेक्टर–18 में बहुमंजिली आवासीय परियोजना के अन्तर्गत कैलाश एन्क्लेव में फ्लैट संख्या एफ–505 वित्तीय वर्ष 2020–21 के मार्च माह में क्रय किया गया है। उपर्युक्त संपत्ति की कुल क्रय लागत कीमत रू0–3650669.00+ई मुद्रांक रू0–245600+ रजिस्ट्रीकरण शुल्क रू0–36570.00 कुल राशि रू0–3932839.00 है।

उपर्युक्त राशि का संदाय का स्रोत निम्नवत् है–

भारतीय स्टेट बैंक गाजीपुर मुख्य शाखा से गृह ऋण खाता संख्या–34980130973, दिनांकित 06.06.2015 ऋण राशि रू0 2400000.00,। भारतीय स्टेट बैंक माती शाखा कानपुर देहात गृह ऋण खाता संख्या–40031129033 दिनांकित 23.02.2021 ऋण राशि–1325000.00, कुल गृह ऋण राशि रू0–3725000.00 ली गई है। इस प्रकार उपर्युक्त संपत्ति की क्रय लागत रू0– 3932839.00 में से रू0–3725000.00 का संदाय गृह ऋण की राशि से किया गया है। शेष राशि रू0–267839.00 (3932839.00–3725000.00) में से आवेदन के साथ पंजीकरण राशि के रूप में रू0–150000.00 का संदाय मेरे द्वारा मेरे और मेरी पत्नी के नाम से धारित संयुक्त बचत खाता संख्या–10970100002659, यूको बैंक, लक्ष्मणपट्टी शाखा भदोही से बैंक ड्राफ्ट संख्या–52011 दिनांकित 04.08.2014 किया गया है। शेष राशि रू0 57839.00 के संदाय का स्रोत वेतन से प्राप्त आय है।

उपर्युक्त विवरण के समर्थन में निम्नलिखित प्रलेख संलग्न किए जा रहे हैं–

1. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा निर्गत मांगपत्र/आवंटन पत्र दिनांकित 28.02.2015 की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

2. आवेदन राशि के रूप में रू0–150000.00 के यूको बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट संख्या–52011 दिनांकित 04.08.2014 की अभिप्रमाणित प्रति।

3. गृह ऋण खाता संख्या–34980130973 भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गाजीपुर द्वारा निर्गत अनुशस्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

4. गृह ऋण खाता संख्या– 40031129033 भारतीय स्टेट बैंक माती शाखा कानपुर देहात द्वारा निर्गत अनुशस्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

5. रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 12.03.2021 की स्व अभिप्रमाणित प्रति।

कोरोना के कारण उपर्युक्त अचल सम्पत्ति के क्रय की सूचना दिए जाने में विलम्ब कारित हुआ है, जिसके लिए खेद है।

भवदीय,
14/07/2022
(राजबहादुर रामदेव यादव)
अपर जनपद न्यायाधीश
जनपद–गोण्डा।

दिनांक–14.07.2022

संलग्नक:
उपर्युक्त विवरण के अनुसार कुल पांच प्रलेख।